

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082020-220873
CG-DL-E-05082020-220873

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2319]	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942
No. 2319]	NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SRAVANA 14, 1942

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2020

का.आ. 2617(अ).—श्री योगेश कुमार वर्मा के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के दिनांक 24.06.2020 के संकल्प सं. 14 के तहत वार्ड संख्या 75-एन के निगम पार्षद श्री मनीश अग्रवाल के स्थान पर चयन के परिणामस्वरूप, श्री योगेश कुमार वर्मा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खंड 3 के उप-खंड (3) की धारा (ड.) के अंतर्गत, तत्काल प्रभाव से, 31 दिसंबर, 2020 या जब तक वे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पार्षद के पद पर बने रहते हैं, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य होंगे।

[फा. सं. के-11011/21/2004-डीडी1ए]

वी. के. कुशवाहा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th August, 2020

S. O. 2617(E).—Consequent upon election of Shri Yogesh Kumar Verma, Municipal Councillor, Ward No. 75-N, by North Delhi Municipal Corporation, vide its Resolution No.14 dated 24.06.2020, *vice Shri Manish Aggarwal*, Shri Yogesh Kumar Verma shall be a member of Delhi Development Authority under clause (e) of sub-section (3) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), with immediate effect, for a period up to 31st December, 2020 or until he ceases to be a Councillor of North Delhi Municipal Corporation, whichever the event takes place earlier.

[F. No. K-11011/21/2004-DDIA]

V. K. KUSHWAHA, Under Secy.